न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 01/2020

उनवान

1. आसुसिंह पुत्र पाबूदान सिंह
2. दिलीप सिंह पुत्र पप्पूसिंह
3. दातार सिंह पुत्र पप्पूसिंह
4. प्रदीप सिंह पुत्र पप्पूसिंह
5. मु० ओमकंवर पत्नी गिरधारी सिंह
6. श्याम सिंह पुत्र गिरधारी सिंह
   समस्त जाति राजपूत,
7. बेगाराम पुत्र सेडूराम जाति अहीर
   समस्त निवासीयान् कीरतसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. माफी मन्दिर श्री राधाबलमजी जरिये पुजारी मदनलाल दत्तक रामरतन, जाति ब्राहम्ण, निवासी कीरतसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 08.12.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियां खाता संख्या नया 53 के तहत आराजी खसरा नम्बर 691 रकबा 2.57 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर, ग्राम कीरतसिंह का बास, पटवार हल्का गुडलिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राज0 में स्थित हैं।

उक्त वर्णित भूमियों पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर निवास हेतु पुख्ता मकान, पशु बाड़ा बना रखा हैं तथा उक्त भूमियों में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता हैं। प्रार्थीगण की भूमियों के उत्तर दिशा में गैर मुमकिन नदी खसरा नम्बर 480 रकबा 4.20 हैक्टेयर स्थित हैं तथा उक्त भूमियों के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमियां नयी खाता संख्या 69 के तहत हाल आराजी खसरा नम्बर 526 रकबा 1.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 692 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 693 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता 3 का रकबा 2.72 हैक्टेयर स्थित हैं, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैं।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भू[illegible] गैर मुमकिन नदी खसरा नम्बर 480 स्थित हैं, जिसमें से आने–जाने हेतु [illegible] है [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 की भूमियों का वर्णन मद संख्या 2 में [illegible] नम्बर 526 जो कि प्रार्थीगण की भूमियों के पूर्व की ओर स्थित है तथा खसरा [illegible] 692, 693 जो कि उत्तर की ओर स्थित हैं, जिसमें से खसरा नम्बर 526 से खसरा न[illegible] 692 व 693 में से 12 फुट चौड़ा व पूर्व–पश्चिम लम्बाई में 300 मीटर लम्बे रास्ते की आवश्यकता हैं जिसे नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:57:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं एवं प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अपनी सुविधा के लिये पेश नही किया हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमियों में खसरा नम्बर 526, 692, 693 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर में से पूर्व पश्चिम लम्बाई 12 फुट चौड़ा व 300 मीटर लम्बाई का रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट गुडलिया में पेश हुई। प्रार्थीगण संख्या 4 व 7 स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम गुडलिया के आराजी खसरा नम्बर 691 रकबा 2.5700 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 526, 692, 693 में से रास्ता चाहा गया है जिसकी खातेदारी माफी मन्दिर श्री राधास्वामी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व मौके पर फसल खड़ी है।

खसरा नम्बर 526 के उत्तरी–पूर्व कोने पर (12X12) वर्ग फीट एवं खसरा नम्बर 693 की उत्तरी सीमा पर उत्तरी–पूर्वी कोने से उत्तर–पश्चिम कोने तक 150 मीटर लम्बा X 3.65 मीटर चौड़ा चाहा गया है, रास्ते हेतु प्रभावित रकबे का क्षेत्र 562 वर्गमीटर होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण नहीं है। आवेदक के कोई अन्य रास्ता मौके पर नहीं लगता है। रास्ते में जाने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर के अनुसार 1,59,465 रूपये (डबल दर के अनुसार) बनते है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ते की भूमि मन्दिर माफी रेफरेन्स जैरकार है।

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार चौमूं द्वारा पेश रिपॉर्ट, नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में मुख्य रूप से निम्न बाते देखे जाने योग्य है–

1. क्या चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु ही प्रयुक्त होना है ?
2. आवेदक/प्रार्थी की जोत तक पहुंचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं हैं ?
3. यदि एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो कौन सा मार्ग न्यूनतम दूरी का हैं ?

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अवलोकन किया गया। प्रशासन गावों के संघ अभियान के दौरान राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वादो/दावो के निस्तारण हेतु उभयपक्षकारों की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 (पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान) के अनुसार पिठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 24.11.2021 को स्वयं मौका निरिक्षण किया गया। जिसमें प्रार्थी के पास कोई वैकल्पीक रास्ता नही होना पाया गया एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 के अनुसार चाहा गया रास्ता ही कम दुरी का होना पाया गया। उभयपक्षकारान के निवेदन पर विचार करने पर न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होना है। आवेदक का जोत तक पहुचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट अनुसार कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता न्युन्तम दुरी का है। प्रार्थीगण की आराजी भूमि पर काश्त करने हेतु रास्ता की भूमि का मुआवजा डीएलसी दर के अनुसार अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार दिलाया जाकर तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 के अनुसार संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित खसरा नम्बर 526 के उत्तरी–पूर्व कोने पर (12X12) वर्ग फीट एवं खसरा नम्बर 693 की उत्तरी सीमा पर उत्तरी–पूर्वी कोने से उत्तर–पश्चिम कोने तक 150 मीटर लम्बा X 3.65 मीटर चौड़ा चाहा गया है, रास्ते हेतु प्रभावित रकबे का क्षेत्र 562 वर्गमीटर भूमि रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:37:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा मुताबिक रिपार्ट तहसीलदार चौमू दिनांक 10.03.2021 के अनुसार वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, पटवार हल्का गुडलिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित खसरा नम्बर 526 के उत्तरी–पूर्व कोने पर (12X12) वर्ग फीट एवं खसरा नम्बर 693 की उत्तरी सीमा पर उत्तरी–पूर्वी कोने से उत्तर–पश्चिम कोने तक 150 मीटर लम्बा X 3.65 मीटर चौड़ा चाहा गया है, रास्ते हेतु प्रभावित रकबे का क्षेत्र 562 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा वर्तमान DLC दर के दो गुनी दर से भूमि कीमत लगभग 167860/– रूपये शब्दों में एक लाख सडसठ हजार आठ सौ साठ रूपये अप्रार्थी को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार चौमू को उक्त राशि जमा कर अप्रार्थी को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिये तहसीलदार चौमू को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:57:24 IST
Reason: SelfAttested